

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

16/1

सैन अधिकारी-

अमानुल्लाह खान,  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

87 / प्रा0पत्र / 11

20.10.2011

02.08.2021

रहमान आ0 वजीर उर्फ वजीरा जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैनवा जिला बून्दी।

—प्रार्थी

बनाम

1. सफुदीन आ0 वजीर उर्फ वजीरा जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैनवा जिला बून्दी मृतक जर्जे कायम मुकाम।
  - 1/1. फिरोज आ0 सफुदीन जाति मुसलमान निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
  - 1/2. इमरान आ0 सफुदीन जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
  - 1/3. कल्लो पुत्री सफुदीन पत्नि शहजाद जाति मुसलमान निवासी करमोदा।
  - 1/4. मोसीना पुत्री सफुदीन पत्नि अहमद जाति मुसलमान निवासी अनियारा रोड नैनवा जिला बून्दी।
  - 1/5. अमीना पुत्री सफुदीन पत्नि सद्दाम जाति मुसलमान निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
  - 1/6. कमला बेवा सफुदीन जाति मुसलमान निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. इलफाज आ0 वजीर उर्फ वजीरा जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. बतूल बेवा वजीर उर्फ वजीरा जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैनवा जिला बून्दी मृतक जर्जे कायम मुकाम।
  - 3/1. सफुदीन आ0 वजीर उर्फ वजीरा जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैनवा जिला बून्दी मृतक।
  - 3/2. इलफाज आ0 वजीर उर्फ वजीरा जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
  - 3/3. शरीफन पुत्री वजीर उर्फ वजीरा पत्नि बाबू खां जाति मुसलमान तेली निवासी धन्ना तलाई कांटे के पास टोंक जिला टोंक।
  - 3/4. जमीला पुत्री वजीर पत्नि मुन्ना खां जाति मुसलमान तेली निवासी कुम्हारों की चौकी मस्जिद के पास टोंक जिला टोंक।
4. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति नैनवा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय नैनवा जिला बून्दी।
5. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवा जिला बून्दी।

—अप्रार्थीगण

की ओर से—श्री कैलाश गुप्ता एड0  
अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/6 की ओर से—श्री नवेद केसर एड0  
अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3/1 से 3/4 की ओर से—श्री श्याम सुन्दर गौत्तम एड0  
अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 5 की ओर से—पेरोकार सरकार

### निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/6 के पिता सफूदीन को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 7/1 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम लाम्बा बरड़ा तहसील नैनवा आवंटन आदेश दिनांक 03.12.1975 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 7/1 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम लाम्बा बरड़ा का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत आवंटन किया गया है। आवंटित भूमि ग्राम लाम्बा बरड़ा में विस्थित है जो एक राजस्व ग्राम है। भूमि का आवंटन मुकाम जैतपुर में किया गया है जिसके कारण प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता वजीरा को सूचना नहीं हो सकी। उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता वजीर उर्फ वजीरा आ0 घांसी खां मुसलमान तेली निवासी ग्राम लाम्बा बरड़ा तहसील नैनवा का आवंटन तिथी से 15-20 वर्ष पहले से ही काबिज काशत चले आ रहे थे। प्रार्थी ने उनके साथ भूमि पड़त से फाड़ कर आबाद किया था और काबिज काशत बनाया था। सफूदीन का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जाकाशत नहीं रहा है तथा आवंटि श्री वजीरा जी का पुत्र है जिस कारण उसने वजीरा जी एवं प्रार्थी को धोखे में रखकर चुपचाप अपने नाम आवंटन करवा लिया तथा यह तथ्य छिपा लिये कि आवंटित भूमि पर श्री वजीरा जी का कब्जाकाशत है। दोराने बहस प्रार्थी अभिभाषक ने यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी को खसरा संख्या 7/1 रकबा 6 बीघा का आवंटन किया गया है और दखल खसरा संख्या 4 व 5 रकबा 6 बीघा पर दिया गया है। खसरा संख्या 4 व 5 रकबा 6 बीघा पर वजीरा वल्द घांसी का आवंटन से पूर्व ही कब्जाकाशत रहा है। श्री वजीरा जी का देहान्त हो चुका है। वजीरा जी देहान्त से पूर्व प्रार्थी के पास ही रहते थे। प्रार्थी ने उनकी सेवा की है। वजीरा जी ने अपने जीवनकाल में ही पारिवारिक आपसी व्यवस्था के अनुसार प्रार्थी को कुल 10 बीघा भूमि हिस्से में दे दी थी। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर सिंचाई के लिए कुए का निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी के उक्त भूमि पर 2 कच्चे मकान भी बने हुए हैं जिनमें प्रार्थी परिवार सहित रहता है। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 2-3 माह में विवाद करना प्रारम्भ कर दिया और प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी। तत्पश्चात आवंटन आदेश की नकल प्राप्त कर कार्यवाही प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश निरस्त किया जावे। प्रार्थी अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1987 पेज 54 (एल.बी.), आरबीजे 1998 पेज 544, आरआरडी 1987 पेज 144, आरबीजे 2006 पेज 749 एवं डीएनजे (राज.) 2018(2) पेज 778 पेश की।

प्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/6 ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटन आदेश आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया जाकर किया गया है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी द्वारा बवक्त आवंटन कोई तथ्य नहीं छिपाये गये हैं और न ही आवंटन आवेदन पत्र में मिथ्यातथ्य अंकित किये गये हैं। आवंटन खारजी हेतु प्रार्थी द्वारा विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर आवंटन आदेश दिनांक 03.12.1975 यथावत रखा जावे।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3/1 से 3/4 ने दोराने बहस व्यक्त किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन को निरस्त किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में नियमन अथवा न्यायोचित कार्यवाही किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट है कि अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/6 के पिता सफूदीन को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 03.12.1975 को आवंटन किया गया है। आवंटन आदेश से विदित है कि सफूदीन को आराजी खसरा संख्या 7/1 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम लाम्बा बरड़ा आवंटित की गई है एवं पत्रांक 108 दिनांक 03.12.1975 जो आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटी को कब्जा देने हेतु पटवार हल्का जैतपुर को जारी किया गया है उसमें भी खसरा संख्या 7 रकबा 6 बीघा का अंकन है। पटवारी द्वारा कब्जा देने की रिपोर्ट में आवंटी सफूदीन को खसरा संख्या 4 रकबा 3 बीघा व खसरा संख्या 5 रकबा 3 बीघा कुल रकबा 6 बीघा पर कब्जा दिया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि की सनद दिनांक 03.01.1976 को जारी की गई है जिसमें मिसल संख्या 108 एवं खसरा संख्या 4 रकबा 3 बीघा व खसरा संख्या 5 रकबा 3 बीघा कुल रकबा 6 बीघा का वर्णन है। पत्रावली में उपलब्ध खसरा परिवर्तनशील संवत् 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा संख्या 4 रकबा 3 बीघा व 5 रकबा 3 बीघा पर प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता वजीरा का कब्जाकाश्त रहा है। आवंटन आदेश दिनांक 03.12.1975 में अंकित भूमि खसरा संख्या 7 रकबा 6 बीघा एवं इसकी पालना में अन्य खसरा नम्बरान 4 रकबा 3 बीघा, 5 रकबा 3 बीघा कुल रकबा 6 बीघा का राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। उक्त आवंटन आदेश प्रभावहीन आदेश की श्रेणी में आता है तथा इसकी पालना में राजस्व रिकार्ड में त्रुटि पूर्ण प्रविष्टियां की गई हैं।

अतएव: परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 03.12.1975 निरस्त किया जाता है एवं इसकी पालना में राजस्व अभिलेख में किये गये समस्त इन्द्राज विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
कूची (बूचको)